



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2012/आश्विन 4, 1934

No. 483]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2012/ASVINA 4, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 719(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (आशुलिपिक श्रेणी II और आशुलिपिक श्रेणी III) भर्ती नियम, 1989 जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी III से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में आशुलिपिक श्रेणी II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी II, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी II	11 * (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200रु.) + ग्रेड वेतन 2400रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी।	मान्यताप्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। केवल कंप्यूटर पर कोशल परीक्षण मानक। श्रुतलेख : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट। प्रतिलेखन : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(9)	(10)	सीधी भर्ती। टिप्पण : पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या लंबी रुग्णता या अध्यनार्थ छुट्टी के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्ति, केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले और स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखने वाले पदधारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी।	
(8)	(9)	(10)	सीधी भर्ती।	टिप्पण : पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या लंबी रुग्णता या अध्यनार्थ छुट्टी के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्ति, केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले और स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखने वाले पदधारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11) लागू नहीं होता	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता 2. कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता 3. कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता	(13) लागू नहीं होता

[फा. सं. 01/23/2011-सीएसबी]

बी. एम. एस. राठोड़, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Stenographer Grade II, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Stenographer Grade II.	11* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs. 5200-20200 plus grade pay - Rs. 2400.	Not applicable.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government	12th class pass or equivalent from a recognised Board. Skill Test Norms only on Computers: Dictation: 10 minutes at the rate of 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the

3663 GI/12-2

from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.				officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.
In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	11	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	12	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Not applicable.		Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India, Kolkata – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	13	Not applicable.

[F. No. 01/23/2011(CSB)]
B. M. S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)